Annexure - LI

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून

फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 998 / 56 / उ.सू.आ. / 2007 दिनांक : 1 / 3 / 2007

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय– सूचना के अधिकार के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग को वार्षिक (2006–07) प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार की धारा 25(1) के उपबंध के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना है।

2. अधिनियम की धारा 25(2) के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रत्येक विभाग को अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के संबंध में सूचना एकत्रित करके राज्य सूचना आयोग को भेजा जाना अपेक्षित है।

3. अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत जिन बिन्दुओं पर विभाग को अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के संबंध में सूचना आयोग को प्रेषित करनी है, उसे संलग्नक के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।

4. आपसे अनुरोध है कि संलग्न उद्धृत बिन्दुओं पर अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकारियों से सूचनायें एकत्रित एवं संकलित कर आयोग को विलम्बतः 7 अप्रैल 2007 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आयोग स्तर से वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के सदन में प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को समय से भेजा जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि –

1. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को उनके स्तर से कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. डॉ0 बी0पी0 मैथानी, राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन भेजा जाना है–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या।

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण से दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था।

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष।

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां।

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम।

(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और क्रियान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं।

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत को अन्य विषय भी है।